17/6/24

पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की रजि.एडी पूर्व से संलग्न पत्रावली है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने एक पक्षीय बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा भलाणी साऊ की ढाणी पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर में खेत खसरा नम्बर 92 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 1.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1.45 हैक्टयर, कुल रकबा 2.68 हैक्टयर के आये हुए है। जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी का एवंम् 1/2 अप्रार्थी संख्या 1 का पैतृक संपम्ति का है। प्रार्थी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि अजनबी व्यक्ति बैचान हस्तारित कर प्रार्थी को बेदखल करने में आमदा है जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक संम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है लेकिन यदि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी खुद–बुर्द कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन अंको में नही हो पायेगा। अतः अप्रार्थी संख्या 01 तो वाद के अंतिम निरस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित है।

हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी मौजा भलाणी साऊ की ढाणी पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 92 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.10 हैक्टयर, [illegible] नम्बर 98 रकबा 1. खसरा नम्बर 94 रकबा 1.12 [illegible] ला राजस्व 45 हैक्टयर, कुल रकबा 2.68 [illegible] रेकर्ड व मौके की यथास्थित [illegible] न हो। होकर दाखिल दफ्तर हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner